सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.06.2026

➤ **जनपद सोनभद्र पुलिस एवं एएनटीएफ लखनऊ यूनिट को मिली बड़ी सफलता-**

➤ **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़-**

➤ **08 कुन्तल 684 ग्राम अवैध गांजा, एक डीसीएम, एक कार, 06 मोबाइल फोन, 02 आईफोन व नकदी बरामद (कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 16 लाख रुपये)**

➤ **06 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध, अपराधियों तथा अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार** के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्रा** के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज के कुशल नेतृत्व में **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एएनटीएफ लखनऊ यूनिट** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है।

• घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21/22.06.2026 की रात्रि में एएनटीएफ लखनऊ यूनिट को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से भारी मात्रा में अवैध गांजा डीसीएम वाहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है तथा तस्करों द्वारा एक अन्य चारपहिया वाहन से पुलिस की रेकी की जा रही है। सूचना पर एएनटीएफ लखनऊ यूनिट एवं थाना रॉबर्ट्सगंज की चौकी सुकृत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चहेलवा बैजू बाबा मंदिर के पास घेराबंदी कर एक सियाज कार एवं एक डीसीएम वाहन को रोककर जांच की गई। पूछताछ एवं विधिक कार्यवाही के उपरान्त डीसीएम वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें **जड़ी-बूटी की बोरियों के बीच छिपाकर रखा गया कुल 08 कुन्तल 684 ग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत **लगभग 80 लाख 60 हजार रुपये** है। मौके से 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

• कृत कार्यवाही-

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर **मु0अ0सं0 525/2026, धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद 08 कुन्तल 684 ग्राम अवैध गांजा, एक डीसीएम वाहन, एक सियाज कार, 06 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 02 आईफोन तथा ₹6,040/- नगद को पुलिस कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

• पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे एक संगठित अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के सदस्य हैं तथा काफी समय से **उड़ीसा से अवैध गांजा खरीदकर सुल्तानपुर एवं उसके आसपास के जनपदों में आपूर्ति करते** आ रहे हैं। अभियुक्त **अंकित सिंह एवं रोहित कुमार सिंह इस तस्करी नेटवर्क का संचालन करते थे, जबकि सोहित सिंह, देवेन्द्र सिंह, सूरज कुमार एवं सिद्धार्थ सिंह परिवहन, निगरानी एवं सप्लाई कार्य** में सहयोग करते थे।

अभियुक्तों ने बताया कि बरामद गांजे की वर्तमान खेप **उड़ीसा के बलांगीर क्षेत्र से लगभग 20 लाख रुपये** में खरीदी गई थी। गांजे को डीसीएम वाहन में लदी जड़ी-बूटी की बोरियों के बीच छिपाकर रखा गया था, जिससे चेकिंग के दौरान संदेह न हो तथा आवश्यकता पड़ने पर जड़ी-बूटी के वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। तस्करी के दौरान एक सियाज कार के माध्यम से आगे-पीछे चलकर पुलिस की गतिविधियों एवं चेकिंग की रेकी भी की जा रही थी।

पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि बरामद **गांजे की खेप सीतापुर निवासी अतुल सिंह को पहुंचाई** जानी थी। उड़ीसा में गांजा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को वे **"दादा"** नाम से जानते हैं, जिससे उनका सम्पर्क व्हाट्सएप के माध्यम से होता था। **गिरोह के सदस्य पहचान छिपाने एवं गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से लगातार मोबाइल नम्बर एवं सिम कार्ड बदलते रहते थे।** मुख्य सरगना रोहित सिंह ने बताया कि गांजे की खेप को सियाज कार से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा तक पहुंचाया जाता था, जहां सितापुर निवासी अतुल सिंह द्वारा बताए गए व्यक्तियों को इसकी आपूर्ति कर दी जाती थी। अभियुक्तों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

• गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अंकित सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम तेरये, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
2. रोहित कुमार सिंह पुत्र स्व० रामप्रकाश सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम तेरये, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
3. सोहित सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी बरुआ सकरवारी, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्रीनाथ सिंह, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी मीरपुर सरैया, थाना मोतीगरपुर, जनपद सुल्तानपुर।
5. सूरज कुमार पुत्र स्व० रोशन लाल, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम भीमी, थाना अमेठी, जनपद अमेठी।
6. सिद्धार्थ सिंह पुत्र अवधेश सिंह, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम जासापारा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर।

• बरामदगी का विवरण-

1. 08 कुन्तल 684 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख 60 हजार रुपये)
2. एक अदद डीसीएम वाहन संख्या UP44CT7780
3. एक अदद सियाज कार संख्या UP14CS3044
4. 06 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।
5. 02 अदद आईफोन।
6. ₹6,040/- नगद।

(उपरोक्त बरामदगी की कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 16 लाख रुपये)

• आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुरज कुमार का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 56/2019 धारा 120-बी, 379, 411 भादवि, थाना जीआरपी बांदा, जनपद जीआरपी अनुभाग झांसी।
2. मु0अ0सं0 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 120-बी, 420, 506 भादवि, थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 479/2020 धारा 120-बी, 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 भादवि, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर।
4. मु0अ0सं0 06/2022 धारा 406, 411, 417, 419, 420 भादवि, थाना कोतवाली सिटी, जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0 58/2022 धारा 411, 417, 419, 420 भादवि, थाना कोतवाली सिटी, जनपद सुल्तानपुर।
6. मु0अ0सं0 65/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली सिटी, जनपद सुल्तानपुर।
7. मु0अ0सं0 117/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली सिटी, जनपद सुल्तानपुर।
8. मु0अ0सं0 442/2020 धारा 392, 411 भादवि, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर।
9. मु0अ0सं0 478/2020 धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर।
10. मु0अ0सं0 481/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर।
11. मु0अ0सं0 547/2021 धारा 379, 411, 420 भादवि, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर।
12. मु0अ0सं0 551/2021 धारा 420 भादवि, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
13. मु0अ0सं0 59/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 452, 504, 506 भादवि, थाना पिपरपुर, जनपद अमेठी।
14. मु0अ0सं0 187/2019 धारा 34, 379, 411, 413, 419, 420 भादवि, थाना शिवरतनगंज, जनपद अमेठी।

अभियुक्त रोहित कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 404/2026 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम, एंटी पावर थेफ्ट थाना, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0 748/2019 धारा 302 भादवि, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
3. मु0अ0सं0 559/2019 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
4. मु0अ0सं0 758/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

अभियुक्त अंकित सिंह का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 559/2019 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0 758/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

• गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रामस्वरुप वर्मा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, एएनटीएफ लखनऊ।
3. हे0का0 दिनेश कुमार सिंह, एएनटीएफ लखनऊ।
4. हे0का0 संगम पटेल, एएनटीएफ लखनऊ।
5. हे0का0 खालिद खां, एएनटीएफ लखनऊ।
6. हे0का0 राजेश कुमार यादव, एएनटीएफ लखनऊ।
7. का0 राजन कुमार, एएनटीएफ लखनऊ।
8. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी सुकृत, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
9. हे0का0 भरत यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
10. का0 राम प्रताप सिंह, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
11. का0 सुनील कुमार, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।